

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-4/2018/

दिनांक:

--:आदेश:--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-। दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	श्री जगफूल सिंह परिहार, नर्स प्रथम	टोंक	02.07.90	02.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	श्री भंवरलाल जाट, नर्स प्रथम	टोंक	30.06.90 मध्यान्ह पश्चात्	01.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	श्री रामेश्वर प्रसाद दायमा, नर्स प्रथम	टोंक	30.07.90	30.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	श्री मोहन सिंह मीणा, नर्स प्रथम	टोंक	02.07.90	02.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	श्री पूरनचंद शर्मा, नर्स प्रथम	अजमेर	24.01.85	24.01.12 27 वर्ष	9300-34800	4800
6.	मेराजराम चौधरी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	18.06.90	18.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	गोरधनराम भादु, नर्स प्रथम	बाड़मेर	26.09.89	26.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	सताराम चौधरी, नर्स प्रथम	बाड़मेर	15.06.90	15.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9	मंजूलता शर्मा नर्स प्रथम	जयपुर	07.08.1990	07.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
10	मूलचन्द जाट नर्स प्रथम	जयपुर	28.07.1990	28.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11	बलबीर सिंह यादव नर्स प्रथम	जयपुर	08.08.1990	08.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12	अश्वनी कुमार तिवाडी नर्स प्रथम	दौसा	25.07.1990	25.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 25/01/18

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-4/2018/61

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक/अजमेर/बाड़मेर/जयपुर/दौसा।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिणधरी बाड़मेर/सिणधरी, देवली, टोडारायसिंह टोंक।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर